रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269666
SG-DL-E-30012026-269666

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 434
No. 25]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 434

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरsकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

बाँट एवं माप विभाग (विधि माप विज्ञान विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

फा.सं.12(2)/W&M/प्रवर्तन/2023/10061-69.—जबकि दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 का प्रारूप, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड (क्यू) के साथ धारा 53 की उपधारा (4) के अंतर्गत अपेक्षित रूप से, इस सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.सं.12(2)/डब्ल्यू एंड एम/प्रवर्तन/2023/9310 दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से दिल्ली राजपत्र में 15 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से, दिल्ली राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

और जबकि उक्त मसौदा 15 अक्टूबर 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था ।

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया है ।

अतः अब, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

(i) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. अनुसूची XI में संशोधन:-

दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में, अनुसूची-XI को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुसूची-XI
[नियम 25 देखें]
विभिन्न अपराधों के लिए समाधान शुल्क

Sr. No.	अपराध की धारा और प्रकृति	दंडात्मक धारा	समाधान शुल्क
1	धारा 8(3). मानक बाट, माप या संख्या के अलावा अन्य बाट, माप या संख्या का उपयोग ।	धारा 25. गैर-मानsक बाट या माप के उपयोग के लिए जुर्माना ।	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹50,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
2	धारा 8(4). मानकों के अनुरूप न होने वाले बाट या माप का निर्माण ।	धारा 27. गैर-मानक बाट या माप के निर्माण या विक्रय के लिए जुर्माना ।	(i) डीलर/विक्रेता- ₹50,000/- (ii) निर्माता- ₹1,00,000/-
3.	धारा 10. माल आदि के संबंध में निर्धारित से अधिक वजन, माप या संख्या के आधार पर लेन-देन या व्यवहार या अनुबंध ।	धारा 28. निर्धारित मानकों के उल्लंघन में कोई लेन-देन, सौदा या अनुबंध करने पर जुर्माना ।	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹50,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
4.	धारा 11. वजन या माप या संख्या की मानक इकाई के अनुसार मूल्य सूची या मूल्य में परिवर्तन की घोषणा करना या जारी करना या प्रदर्शित करना ।	धारा 29. गैर-मानक इकाइयों को उद्धृत करने या प्रकाशित करने आदि के लिए जुर्माना ।	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹50,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
5.	धारा 12. अनुबंध या समझौते द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम मात्रा में सेवा पर किसी	धारा 30. बाट या माप के मानकों के उल्लंघन में लेनदेन के लिए जुर्माना ।	₹ 10,000/-

	भी वस्तु या चीज की मांग करना या प्राप्त करना।		
6.	धारा 17. निर्माता, डीलर या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों, रजिस्टरों का रखरखाव तथा मांग पर बाट, माप दस्तावेज, रजिस्टर प्रस्तुत करना।	धारा 31. दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर जुर्माना।	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹25,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
7.	धारा 18(1). खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं,निर्माताओं, पैकर, आयातकों द्वारा पूर्व-पैकेज्ड वस्तु के संबंध में घोषणा का अनुपालन।	धारा 36(1). गैर-मानक पैकेजों की बिक्री आदि के लिए जुर्माना।	(i) खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं के लिए - ₹ 5,000/- (ii) निर्माताओं या आयातकों के लिए - ₹25,000/-
8.	धारा 18(2). खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं, निर्माताओं, पैकर, आयातकों द्वारा पूर्व-पैकेज्ड वस्तु की शुद्ध मात्रा आवश्यकता का अनुपालन।	धारा 36(2). गैर-मानक पैकेजों की बिक्री आदि के लिए जुर्माना- (शुद्ध मात्रा में त्रुटि के साथ)।	(i) खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं के लिए ₹10,000/- (ii) निर्माताओं या आयातकों के लिए ₹50,000/-
9.	धारा 23. केवल लाइसेंस के साथ बाट या माप का निर्माता	धारा 45. बिना लाइसेंस के बाट और माप के विनिर्माण के लिए जुर्माना	₹20,000/-
10.	धारा 23. बाट या माप की मरम्मत/बिक्री केवल लाइसेंस के साथ।	धारा 46. बिना लाइसेंस के बाट और माप की मरम्मत, बिक्री आदि के लिए जुर्माना [पहली बार अपराध करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है]	₹5,000/-
11.	धारा 24. लेन-देन या संरक्षण में सत्यापित बाट या माप का उपयोग	धारा 33. असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए जुर्माना [जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पहली बार अपराध करने पर दस हजार रुपये तक हो सकता है]	₹10,000/-
12.	धारा 33. सत्यापन के बिना बाट या माप की बिक्री।	धारा 33. असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए जुर्माना [जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पहली बार अपराध करने पर दस हजार रुपये तक हो सकता है]	₹10,000/-

13.	धारा 34. गैर-मानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं की बिक्री या वितरण	धारा 34. गैर-मानक वजन या माप द्वारा वस्तुओं आदि की बिक्री या वितरण के लिए जुर्माना	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹25,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
14.	धारा 35. गैर-मानक वजन या माप द्वारा सेवा प्रदान करना	धारा 35. गैर-मानक वजन, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए जुर्माना	(i) फेरीवालों/अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए - ₹500/- (ii) खुदरा विक्रेता - ₹5,000/- (iii) थोक विक्रेता - ₹10,000/- (iv) निर्माता/पैकर/आयातकर्ता - ₹25,000/- (v) पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा दुकानें/टैंक लॉरी/भंडारण डिपो आदि) - ₹25,000/- (vi) अन्य (सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियाँ/बैंक आदि) - ₹25,000/-
15.	धारा 41. गलत सूचना देने या गलत रिटर्न देने पर जुर्माना	धारा 41. गलत सूचना देने या गलत रिटर्न देने पर जुर्माना	₹ 5,000/-
16.	धारा 47. लाइसेंस के साथ छेड़छाड़	धारा 47. लाइसेंस के साथ छेड़छाड़ के लिए जुर्माना	₹ 20,000/-
17.	धारा 53(3). अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम का प्रावधान	धारा 53(3). अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम का प्रावधान	₹ 5,000/-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार,

पंकज कुमार, आईएएस, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जीएनसीटीडी

\WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT (DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th January, 2026

F. No. 12(2)/W&M/Enforcement/2023/10061-69.—Whereas the draft of the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2025, was published as required under sub-section (4) of section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act 2009 in the Delhi Gazette on the 15th October 2025 vide this Government's Notification No. F.No.12(2)/W&M/Enforcement/2023/ 9310 dated 13.10.2025 inviting suggestions/ objections from the persons likely to be affected thereby, within 30 days from the date of the publication of the said notification in the Delhi Gazette.

And whereas, the said draft was made available to the public on the 15th October 2025.

And whereas, the suggestions/objections received with regard to the said draft rules have been duly considered.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act 2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Central Government, is pleased to make the following rules, namely:-

1. Short title and commencement:-

(i) These rules may be called the **DELHI LEGAL METROLOGY (ENFORCEMENT) AMENDMENT RULES, 2026**.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Schedule XI:-**

In the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, Schedule-XI shall be substituted as under:

SCHEDULE-XI

[See rule 25]

COMPOUNDING FEES FOR VARIOUS OFFENCES

Sr. No.	Section and nature of offence	Penal Section	Compounding fee
1	Section 8(3). Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration.	Section 25. Penalty for use of Non-Standard weight or measure.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹ 500/- (ii) Retailer- ₹ 5,000/- (iii)Wholesale dealer- ₹ 10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer - ₹ 25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)- ₹ 50,000/- (vi)Others (Government Organizations/PSUs/Cooperative Societies/Banks etc.)- ₹ 25,000/-
2	Section 8(4). Manufacture of weight or measure not conforming to Standards.	Section 27. Penalty for Manufacture or sale of non-standard weight or measure.	(i) Dealer/Seller-₹50,000/- (ii) Manufacturer-₹1,00,000/-
3.	Section 10. Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by weight, measure or number than prescribed.	Section 28. Penalty for making any transaction, deal or contract in contravention of the prescribed standards.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹50,000/- (vi) Others (Government Organizations/PSUs/ Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
4.	Section 11. Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price than in accordance with standard unit of weight or measure or numeration.	Section 29. Penalty for quoting or publishing, etc., of non-standard units.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹50,000/- (vi) Others (Government Organizations/PSUs/ Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
5.	Section 12. Demanding or receiving any articles or thing on service in excess or less than the quantity specified by contract or agreement.	Section 30. Penalty for transaction in contravention of standards weights or measures.	₹10,000/-
6.	Section 17. Maintenance of records, registers by manufacturer, dealer or repairer and production of weight, measure document, register on demand.	Section 31. Penalty for non production of documents.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹ 25,000/- (vi) Others (Government Organizations/PSUs/ Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-

7.	Section 18(1). Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by retailers or wholesale dealers, Manufacturer, Packer, Importer.	Section 36(1). Penalty for selling, etc. of non-standard packages.	(i) For Retailers or Wholesale Dealers - ₹ 5,000/- (ii) For manufacturers or importers- ₹25,000/-
8.	Section 18(2). Compliance of net quantity requirement of pre-packaged commodity by retailers or wholesale dealers, Manufacturer, Packer, Importer.	Section 36(2). Penalty for selling, etc. of non-standard packages- (With error in Net Quantity).	(i) For Retailers or Wholesale Dealers ₹ 10,000/- (ii) For manufacturers or importers ₹ 50,000/-
9.	Section 23. Manufacturer of weight or measure only with licence.	Section 45. Penalty for Manufacture of weight and measure without licence.	₹20,000/-
10.	Section 23. Repair/sale of weight or measure only with licence.	Section 46. Penalty for Repair, Sale, etc., of weight and measure without licence.	₹5,000/-
11.	Section 24. Use of verified weight or measure in transaction or protection.	Section 33. Penalty for use of unverified weight or measure.	₹10,000/-
12.	Section 33. Sale of weight or measure without verification.	Section 33. Penalty for use of unverified weight or measure.	₹10,000/-
13.	Section 34. Sale or delivery of commodities by non-standards weights or measure.	Section 34. Penalty for sale or delivery of commodities, etc., by non-standard weight or measure.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹ 25,000/- (vi) Others (Government Organizations/PSUs/ Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
14.	Section 35. Rendering service by non-standard weight or measure.	Section 35. Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number.	(i) For hawkers/ non-permanent establishment- ₹500/- (ii) Retailer-₹5,000/- (iii)Wholesale dealer-₹10,000/- (iv)Manufacturer/Packer/Importer-₹25,000/- (v) Petroleum Industry (Retail Outlets/Tank Lorries/Storage Depos etc.)-₹ 25,000/- (vi) Others (Government Organizations/PSUs/ Cooperative Societies/Banks etc.)-₹25,000/-
15.	Section 41. Penalty for giving false information or false return.	Section 41. Penalty for giving false information or false return	₹ 5,000/-
16.	Section 47. Tampering with licence.	Section 47. Penalty for tempering with licence.	₹20,000/-

17.	Section 53(3). Provision of any rule made under the Act	Section 53(3). Provision of any rule made under the Act.	₹ 5,000/-

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PANKAJ KUMAR, IAS, Controller, Legal Metrology, GNCTD

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.30 16:16:53 +05'30'